न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :- 73/2025

उनवान

1.प्रभूदयाल पुत्र लादूराम उम्र–50 वर्ष जाति बलाई निवासी कानपुरा राडावास तहसील –शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

2.रामेश्वर प्रसाद पुत्र चौथुराम,उम्र–60वर्ष जाति बलाई निवासी शील्या की ढाणी तन श्योसिंहपुरा तहसील –शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार(भूधारक)तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर(राज)
2 आशीष जिन्दल पुत्र जगदीश प्रसाद
3. कमली देवी पुत्री बिरदूराम
4. ज्वाला प्रसाद बुनकर पुत्र बिरदूराम
5. प्रेम देवी पत्नि जगदीश प्रसाद
6.मनभर देवी पुत्री बिरदूराम
7.शिवानी जिन्दल पुत्री जगदीश बुनकर
8.सुप्यार देवी पुत्री बिरदूराम

समस्त जाति बलाई निवासी राडावास तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर

9.मालूदास पुत्र ज्यानकीदास
10 सुवालाल पुत्र प्रताबदास
11.सीताराम पुत्र ज्यानकीदास
12.हरि पुत्र रामेश्वरदास
13.नर्बदा पुत्री रामेश्वरदास
14.प्रकाश पुत्र रामेश्वरदास

समस्त व्यस्क जाति स्वामी निवासी राडावास तहसील –शाहपुरा जिला जयपुर

15.छाजूराम पुत्र मोहनलाल
16.बिरमा देवी पत्नि बल्लूराम
17महावीर पुत्र छोटया
18.रामलाल पुत्र लादू
19.रामेश्वरी पुत्री सोनाराम पत्नि नाथूराम

समस्त व्यस्क,समस्त जाति बावरिया निवासी राडावास तहसील –शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

– अप्रार्थीगण

20.छाजूलाल पुत्र लादू
21.सुरजमल पुत्र लादू

समस्त व्यस्क,समस्त जाति अहीर समस्त निवासी बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज

– तरतीबी अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– प्रार्थीगण अधिवक्ता रणवीर कपूरिया   निर्णय दिनांक 25/5/26

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि हाल आराजी के हाल खसरा नं0–2515/0.28, 2516/0.25 कुल किता–2 कुल रकबा 0.53 हैक्टर वाकै ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित हैं।प्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त व अपने उपयोग–उपभोग में लेते आ रहे हैं। यह कि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण उक्त वर्णित खातेदारी भूमि से अथवा उसके किसी भाग से प्रार्थी संख्या 2 लगा0 13 का कभी कोई संबंध व हक अधिकार नही हैं लेकिन अप्रार्थी संख्या –2 लगा0 13 की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगती हुई होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा 13 प्रार्थीगण से सींव डौल का विवाद करते रहते हैं इस कारण प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का दिनांक 02.06.25 को तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर के आदेश कमांक/भू0अ0/2025/764 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान पटवार हल्का राडावास व मौके पर उपस्थित खातेदारों की मौजूदगी में किया गया जिसमें प्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमा तक हाल आबाद काबिज काश्त हैं ।

प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद प्रार्थीगण की आराजी के पास स्थित हाल आराजी खसरा नं0–2515/0.28, 2516/0.25 कुल किता–2 कुल रकबा 0.53 हैक्टर वाकै ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित काश्तकार अप्रार्थीगण 2 लगा0 19 द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाओ पर सींव,डोल आदि का विवाद करते रहते हैं इस कारण प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते हैं ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रिर्पोट सरिस्ता ली जाकर तथा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 21 की तामील हो चुकी हैं बावजूद तामील अप्रार्थीगण 1 लगा0 21 अनु0 ना ही कोई जवाब पेश किया हैं अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीवडोल काटने से आये दिन होने वाले विवादो की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार हैं। तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद,सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाव का यह एक उपाय है।जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमाचिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नही कर सकते हैं।मौके पर सीमाज्ञान होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आराजी के हाल खसरा नं0–2515/0.28, 2516/0.25 कुल किता–2 कुल रकबा 0.53 हैक्टर वाकै ग्राम राडावास तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 02.06.2025 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/5/26 को खुले इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.